

FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली  
Magma Housing Finance, Registered Office: 8, Sant Nagar, East of Kailash, New  
Delhi-110065 Regional Office at: Prestige Tower, E-1, Third Floor, Near Amrapali  
Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 through Authorized Officer — प्रार्थी

### बनाम

1. श्री भगवत प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा, निवासी राजपूत छात्रावास के सामने, वार्ड नं. 2, करौली एवं प्लॉट नं. 07, ख.नं. 5816, पांचना कॉलोनी के पीछे, करौली जिला करौली (राज.)
2. श्रीमती विमला पुत्री राधेश्याम निवासी राजपूत छात्रावास के सामने
3. श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री भगवत प्रसाद शर्मा  
निवासीयान राजपूत छात्रावास के सामने, वार्ड नं. 2, करौली जिला करौली (राज.)

— अप्रार्थीगण

मु.नं.—17/19 कि.मु.—अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002

ता.रजु—13.08.2019


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हूए
13.08. 2019	<p>प्रार्थी की ओर से श्री इमरान बुखारी, एडवोकेट द्वारा यह प्रार्थना पत्र The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से 5,50,000 रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 07, ख.नं. 5816, पांचना कॉलोनी के पीछे, करौली जिला करौली (राज.) में जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 77.77 वर्गगज है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार है:—पूर्व में अन्य का प्लॉट, पश्चिम में रास्ता 10' चौड़ा, उत्तर में प्लॉट नं. 6 तथा दक्षिण में प्लॉट नं. 8 स्थित है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।</p> <p>अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण/ऋणी के खाता को दिनांक 31.08.2017 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी प्रार्थी के दिनांक 06.09.2017 को राशि 5,23,584 (पांच लाख तेईस हजार पांच सौ चौरासी रुपये मात्र) रुपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थीगण पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी संस्था द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 20.09.2017 को अप्रार्थीगण को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी संस्था द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।</p>	

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त बावत् ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी संस्था के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी संस्था के द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 20.09.2017 को अप्रार्थीगण को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई है। प्रार्थी संस्था के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह से प्रयास के बावजूद राशि वसूल नहीं कर पाने पर अंतिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी संस्था से ऋण सुविधा लेते समय उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 07, ख.नं. 5816, पांचना कॉलोनी के पीछे, करौली जिला करौली (राज.) में जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 77.77 वर्गगज है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार है:—पूर्व में अन्य का प्लॉट, पश्चिम में रास्ता 10' चौड़ा, उत्तर में प्लॉट नं. 6 तथा दक्षिण में प्लॉट नं. 8 स्थित है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी संस्था को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक करौली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नन्मल पहाडिया)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
करौली